oliveboard

UP SI 2021

मूल विधान / संविधान भाग 2

प्रावधान और अधिनियम

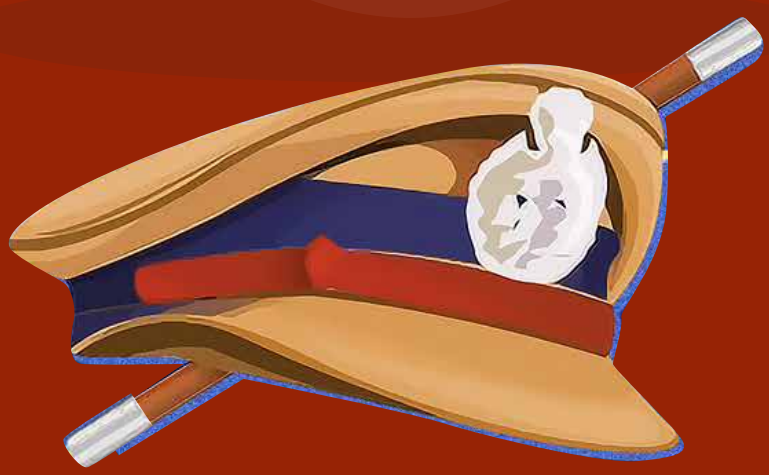

यूपी एसआई की तैयारी के लिए पूरी ईबुक डाउनलोड करे

मूल विधान / संविधान

मुख्य बिंदु :

भाग 1 - दण्ड संहिता (यहाँ डाउनलोड करें)

- भारतीय दण्ड विधान एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता

भाग 2 – प्रावधान और अधिनियम

- महिलाओं , बच्चों ,अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने सम्बन्धी विधिक प्रवधान ..... (पृष्ठ सं : 3 - 9)
- यातायात नियम (मोटर वाहन अधिनियम, 2019) ..... (पृष्ठ सं : 10)
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 ..... (पृष्ठ सं : 11 - 12)
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 ..... (पृष्ठ सं : 12 - 14)
- मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 ..... (पृष्ठ सं : 14 - 15)
- सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 ..... (पृष्ठ सं : 15 - 17)
- आय-कर अधिनियम, 1961 ..... (पृष्ठ सं : 17)
- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ..... (पृष्ठ सं : 18 - 19)
- राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम,1980 ..... (पृष्ठ सं : 19)
- आईटी अपराध ..... (पृष्ठ सं : 20 - 21)
- साइबर अपराध-2000 ..... (पृष्ठ सं : 20 - 21)
- जनहित याचिका ..... (पृष्ठ सं : 21 - 22)
- भूमि सुधार,1950 ..... (पृष्ठ सं : 23 - 25)
- भूमि अधिग्रहण,2013 ..... (पृष्ठ सं : 23 - 25)
- भू-राजस्व सम्बन्धी कानून,1901 ..... (पृष्ठ सं : 23 - 25)

Oliveboard
यूपी पुलिस एसआई 2021
फ्री मॉक टेस्ट
· नवीनतम परीक्षा पैटर्न
· विस्तृत समाधान और परीक्षण विश्लेषण
अभी प्रयास करें
(हिंदी और अंग्रेजी में)

भाग 3 - संविधान (यहाँ डाउनलोड करें)

- संविधान का उद्देश्य
- मौलिक अधिकार
- नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य
- केंद्रीय एवं प्रदेशिक राज्यों का गठन एवं उनके अधिकार
- कानून बनाने का अधिकार
- स्थानीय शासन
- केंद्र और राज्यों के बीच सम्बन्ध
- निर्वाचन
- संवैधानिक अनुसूचियां
- अखिल भारतीय सेवाएं एवं उनकी चयन पद्धति

महिलाओं , बच्चों ,अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने सम्बन्धी विधिक प्रवधान

बच्चों से सम्बन्धी विविध प्रावधान : शिक्षा का उपयोग मानव व्यक्तित्व के विकास, मानवीय अधिकारों और बुनियादी स्वतंत्रता के लिए किया जाना चाहिए। माता-पिता और अभिभावकों को यह पूर्वाधिकार हो कि वे अपने बच्चों को किस तरह की शिक्षा देना चाहते हैं। गरीबी के कारण कुछ माता - पिता ऊँची ब्याज दर पर ली गई ऋण की अल्प राशि के बदले में अपने बच्चों को बंधुआ मजदूरों के रूप में बेचने के लिए विवश हो जाते हैं। आजीविका की तलाश में, बच्चे अकेले अथवा अपने परिवारों के साथ अन्य गांवों अथवा शहरों में पलायन करने के लिए विवश हो जाते हैं जहाँ उन्हें देर तक काम करना पड़ता है और कभी - कभी तो एक दिन में वे 14 घंटे से अधिक कम करते हैं। अनेक बच्चे, लड़के तथा प्राय: लड़कियाँ, जो घरेलू नौकरों के रूप में कार्य करते हैं आसानी से हिंसा और यौन शोषण के शिकार बन जाते हैं।

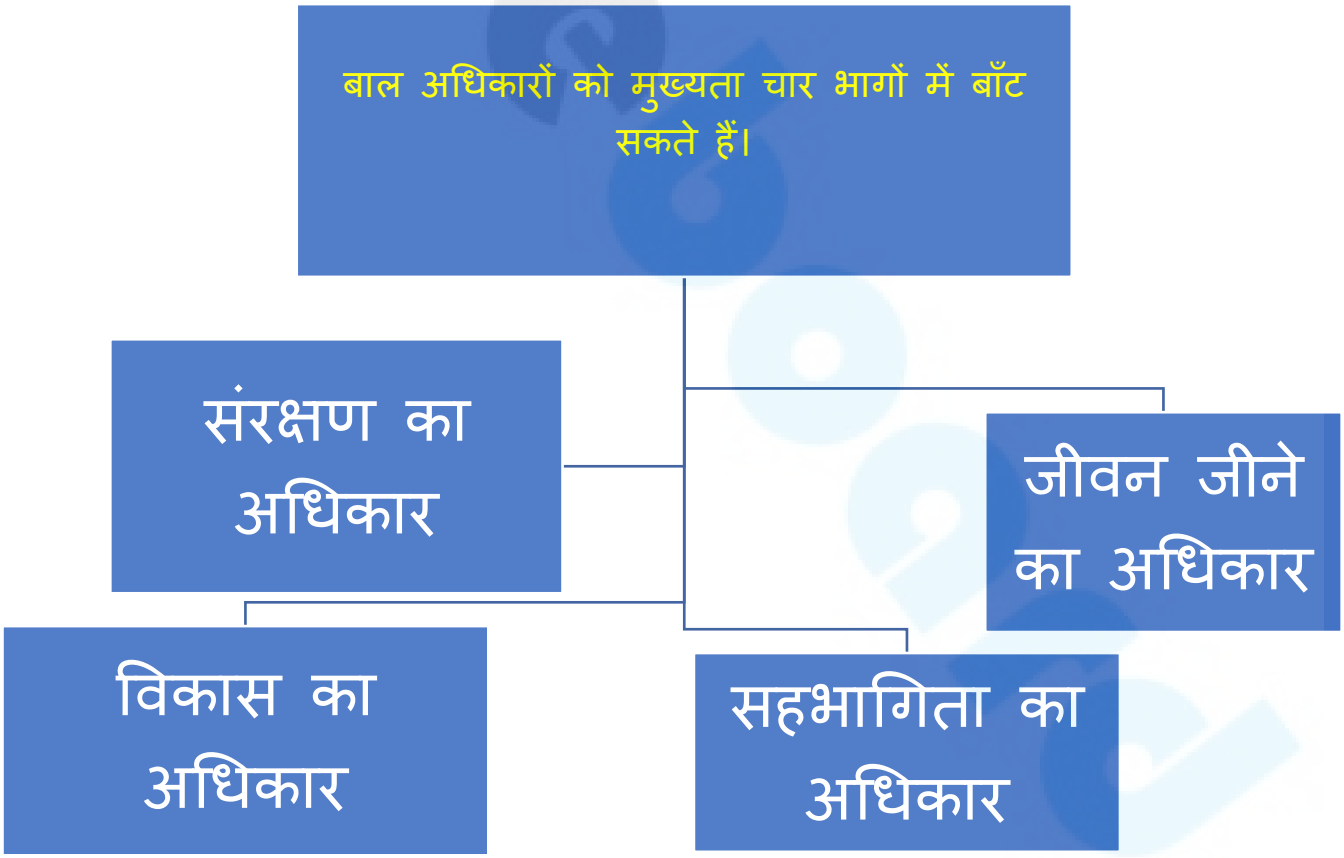

धाराएँ एवं प्रावधान :

- बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 किसी भी जोखिमपूर्ण व्यवसाय में 14 वर्ष से कम बच्चों के रोजगार का प्रतिषेध करता है तथा 14-18 वर्ष तक बच्चों के लिए विभिन्न कार्य - परिस्थितियों को विनियमित करता है।
- बाल विवाह का अर्थ है ऐसा विवाह जो किसी व्यक्ति के वयस्क होने से पूर्व किया जाता है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 बालिकाओं का 18 वर्ष तथा बालकों का 21 वर्ष आयु से पूर्व विवाह गैर - कानूनी ठहराता है।
- बाल यौन - उत्पीड़न है किसी बड़े व्यक्ति अथवा अधिक शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा यौन संबंध बनाने के लिए किसी बच्चे का उत्पीड़न करना। इसका अपराधी सामान्यता: कोई वयस्क ही होता है परंतु यह बच्चे से बड़ा अथवा उससे अधिक शक्तिशाली कोई अन्य बच्चा भी हो सकता है। लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, 2012 यौन हमलों, यौन उत्पीड़न तथा अश्लील साहित्य संबंधी अपराधों से 18 वर्ष की आयु से कम के सभी बच्चों को संरक्षण प्रदान करता हैं।
- निस्सहाय, त्यागे गए तथा अभिभावकीय देख रेख विहीन बच्चे : ऐसे बच्चों को अधिक देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता होती है। जिनके साथ उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं होता है अथवा जिनके परिवारों ने गरीबी अन्य किसी कारण से उन्हें त्याग दिया हो। किशोर न्याय (बच्चों की देख रेख और संरक्षण अधिनियम) 2000 उनकी देखभाल, संरक्षण और पुनर्वास का प्रावधान करता है जिसमें दत्तक ग्रहण, पोषण देख - रेख, प्रायोजन भी शामिल है।
- किशोर न्याय (बच्चों की देख रेख और संरक्षण) अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित तीन निकाय स्थापित हैं:

- बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी)
- किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी)
- विशेष किशोर पुलिस इकाई (एसजेपियू)
- विशेष किशोर पुलिस इकाई (एसजेपीयू)

Oliveboard
यूपी पुलिस एसआई 2021
फ्री मॉक टेस्ट
· नवीनतम परीक्षा पैटर्न
· विस्तृत समाधान और परीक्षण विश्लेषण
अभी प्रयास करें
(हिंदी और अंग्रेजी में)

महिलाओं सम्बन्धी विविध प्रावधान : इसके अंतर्गत महिलाओं से संबंधित अपराधों और भारतीय दंड संहिता, 1860 में ऐसे अपराधों की बाबत शास्तिक उपबंध आते हैं। उन धाराओं के विवरण को, जिन्हें वर्ष 2013 में संशोधित किया गया है।

नारी की गरिमा का अधिकार: अनुच्छेद-23 नारी की गरिमा की रक्षा करते हुए उनको शोषण मुक्त जीवन जीने का अधिकार देता है। महिलाओं की खरीद-बिक्री , वेश्यावृत्ति के धंधे में जबरदस्ती लाना , भीख मांगने पर मजबूर करना आदि दण्डनीय अपराध है। ऐसा कराने वालों के लिए भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत सजा का प्रावधान है। संसद ने अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम,1956 पारित किया है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा-361, 363, 366, 367, 370, 372, 373 के अनुसार ऐसे अपराधी को

सात साल से लेकर 10 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा भुगतनी पड़ सकती है। अनुच्छेद-24 के अनुसार 14 साल से कम उम्र के लड़के या लड़कियों से काम करवाना बाल-अपराध है।

दहेज़ निवारक कानून : दहेज़ लेना ही नहीं देना भी अपराध हैं । अगर वधु पक्ष के लोग दहेज़ लेनी के आरोप मे वर पक्ष को कानून सजा दिलवा सकते हैं तो वर पक्ष भी इस कानून के ही तहत वधु पक्ष को दहेज़ देने के जुर्म मे सजा करवा सकता हैं। 1961 से लागू इस कानून के तहत वधु को दहेज़ के नाम पर प्रताड़ित करना भी संगीन जुर्म है।

नौकरी/स्वव्यवसाय करने का अधिकार : संविधान के अनुच्छेद 16 में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि हर वयस्क लड़की व हर महिला को कामकाज के बदले वेतन प्राप्त करने का अधिकार पुरुषों के बराबर है। केवल महिला होने के नाते रोजगार से वंचित करना, किसी नौकरी के लिए अयोग्य घोषित करना लैंगिग भेदभाव माना जाएगा।

प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार : अनुच्छेद-21 एवं 22 दैहिक स्वाधीनता का अधिकार प्रदान करता है। हर व्यक्ति को इज्जत के साथ जीने का मौलिक अधिकार संविधान द्वारा प्रदान किया गया है। अपनी देह व प्राण की सुरक्षा करना हरेक का मौलिक अधिकार है।

हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) कानून-2005 : हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) कानून-2005 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि पिता के उत्तराधिकार को बेटे और बेटी में समान रूप से बांटा जाए। यह व्यवस्था सितंबर 2005 के बाद प्रॉपर्टी के सभी तरह के बंटवारों में लागू होगी।

महिलाओं और बच्चों के विकास को गति देने के उददेश्य से **भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय** के एक हिस्से के रूप में महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना वर्ष 1989 में हुई है। महिलाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से **उत्तर प्रदेश** सरकार द्वारा वर्ष 1989 में पूर्ण कालिक महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना की गई महिलाओं के कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रमों में गतिशीलता लाने के उददेश्य से राज्य स्तरपर महिला कल्याण निदेशालय एवं बाल विकास पुष्टाहार, निदेशालय की स्थापना की गई है। जिसमे राज्यस्तर पर कुछ योजनाएं चल रही हैं ।

उत्तर प्रदेश राज्य महिला सशाक्तिकरण मिशन का क्रियान्वयन :

आपकी सखी- आशा ज्योति केन्द्रों का संचालन

उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष

1. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम निराश्रित महिला पेंशन योजना ।

2. पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिलाओं को सहायक अनुदान योजना

3. 35 वर्ष से कम आयु की पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला से विवाह करने पर दम्पत्ति को पुरस्कार

4. पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला की पुत्री से विवाह हेतु अनुदान योजना

5. दहेज से पीडित महिलाओं को आर्थिक सहायता योजना

6. दहेज से पीडित महिलाओं को क़ानूनी सहायता योजना

7. स्वाधार योजना

8. स्टेप योजना

9. उज्जवला योजना

10. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

11. महिला हेल्प लाइन

12. महिला समाख्या कार्यक्रम-महिला संघ, नारी अदालत, नारी षिक्षा, संजीवनी केन्द्र, महिला स्वयं सहायता समूह

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण एवं अभिवृद्धि हेतु प्रवधान :

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 का उद्देश्य अत्याचार की रोकथाम के लिए और अधिक कठोर प्रावधानों को सुनिश्चित करना है। यह अधिनियम प्रधान अधिनियम में एक संशोधन है और

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम,1989 के साथ संशोधन प्रभावों के साथ लागू किया गया है।

I. शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक सुरक्षण

अनुच्छेद 15(4): अन्य पिछड़े वर्गों (जिसमें अनुसूचित जनजातियां शामिल हैं) के विकास के लिए विशेष प्रावधान

अनुच्छेद 29: अल्पसंख्यकों (जिसमें अनुसूचित जनजातियां शामिल हैं) के हितों का संरक्षण;

अनुच्छेद 46: राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के, विशिष्टतया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से उसकी संरक्षा करेगा;

अनुच्छेद 350: पृथक भाषा, लिपि या संस्कृति की संरक्षा का अधिकार;

अनुच्छेद 350: मातृभाषा में शिक्षण।

II. सामाजिक सुरक्षण

अनुच्छेद 23: मानव दुर्व्यापार और भिक्षा एवं अन्य समान बलपूर्वक श्रम का प्रतिषेध;

अनुच्छेद 24: बाल श्रम निषेध।

III. आर्थिक सुरक्षण

अनुच्छेद 244: पांचवी अनुसूची का उपबंध खण्ड (1) असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा जो छठी अनुसूची के अन्तर्गत, इस अनुच्छेद के खण्ड (2) के अन्तर्गत आते हैं, के अलावा किसी भी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए लागू होता है;

अनुच्छेद 275: संविधान की पांचवी एवं छठी अनुसूचियों के अधीन आवृत विशेषीकृत राज्यों (एसटी एवं एसए) को अनुदान सहायता।

IV. राजनीतिक सुरक्षण

अनुच्छेद 164(1): बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में जनजातीय कार्य मत्रियों के लिए प्रावधान;

अनुच्छेद 330: लोक सभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण;

अनुच्छेद 337: राज्य विधान मण्डलों में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण;

अनुच्छेद 334: आरक्षण के लिए 10 वर्षों की अवधि (अवधि के विस्तार के लिए कई बार संशोधित);

अनुच्छेद 243: पंचायतों में सीटों का आरक्षण;

अनुच्छेद 371: पूर्वोत्तर राज्यों एवं सिक्किम के संबंध में विशेष प्रावधान;

V. सेवा सुरक्षण

(अनुच्छेद 16(4), 16(4क), 164(ख), अनुच्छेद 335, और अनुच्छेद 320(40)

मोटर वाहन अधिनियम, 2019

1989 मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया गया है। जो कि 1 अक्टूबर 2020 से लागू किया जाएगा। इन संशोधनों में कई सारे मुख्य बदलाव किए गए। हैं जैसे कि अब आपको भौतिक दस्तावेजों को हर जगह ले जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने सभी दस्तावेज तथा ड्राइविंग लाइसेंस की सॉफ्ट कॉपी अपने पास रख सकते हैं। यह फैसला डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए आरंभ किया गया है। इस नए मोटर वाहन अधिनियम 2020 के तहत मानक से कमतर इंजन की गाड़ी बनाने वाली कंपनियों पर 500 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जायेगा जैसे सामान्य (धारा-177)और (नयी धारा -177)के तहत ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पहले 100 रूपये का जुर्माना देना पड़ता था लेकिन अब 100 रूपये को बढ़ा कर 500 रूपये कर दिया गया है । आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से नए यातायात नियम के बारे में सभी जानकारी प्रदान करने जा रहे है ।

अधिनियम के प्रमुख बिंदु :

सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवज़ा : 'गोल्डन आवर' के दौरान सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों का कैशलेस उपचार करने की एक योजना विकसित करेगी।

अनिवार्य बीमा :मोटर वाहन दुर्घटना कोष भारत में सड़क का प्रयोग करने वाले सभी लोगों को अनिवार्य बीमा कवर प्रदान करेगा।

गुड समैरिटन : गुड समैरिटन वह व्यक्ति है जो दुर्घटना के समय पीड़ित को आपातकालीन मेडिकल या नॉन मेडिकल मदद देता है।

वाहनों को रीकॉल करना: ऐसी खराबी हो जो कि पर्यावरण या ड्राइवर या सड़क का प्रयोग करने वालों को नुकसान दे ऐसे में खरीदार को वाहन की पूरी कीमत लौटानी होगी या खराब वाहन को दूसरे वाहन जो कि समान या बेहतर विशेषताओं वाला हो से बदलना होगा।

राष्ट्रीय परिवहन नीति : संघीय प्रक्रिया से राष्ट्रीय परिवहन नीति बना सकती है।

सड़क सुरक्षा बोर्ड : अधिनियम में एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का प्रावधान है जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना के ज़रिये बनाया जाएगा।

अपराध और दंड : नए कानून के तहत ड्राइविंग लाइसेंस नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगो पर 1 लाख रूपये का जुर्माना लगाया जायेगा ।सड़क पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने पर 1,000 से 2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। ऐसे अनेक कठोर वित्तीय प्रावधान है।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

स्वतंत्र भारत के लोगों में पश्चिमी प्रभाव, औद्योगीकरण तथा जनसंख्या विस्फोट के परिणामस्वरूप तृष्णा जाग गई जिसने देश में विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों को जन्म दिया। निरंतर बढते जल प्रदूषण के प्रति सरकार का ध्यान 1960 के दशक में गया और वर्ष 1963 में गठित समिति ने जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण के लिए एक केंद्रीय कानून बनाने की सिफारिश की। वर्ष 1969 में केंद्र सरकार द्वारा एक विधेयक तैयार किया गया जिसे संसद में पेश करने से पहले इसके उद्देश्यों व कारणों को सरकार द्वारा इस प्रकार बताया गया, "उद्योगों की वृद्धि तथा शहरीकरण की बढती प्रवृति के फलस्वरूप हाल में वर्षो में नदी तथा दरियाओं के प्रदूषण की समस्या काफी आवश्यक व महत्त्वपूर्ण बन गयी है। इसमें चार अध्याय तथा 26 धाराएं हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम संसद द्वारा 23 मई 1986 को पारित किया गया

पर्यावरणीय कानून व नियम निम्नलिखित हैं:

- पर्यावरण की गुणवत्ता के संरक्षण हेतु सभी आवश्यक कदम उठाना।
- पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन हेतु राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाना और उसे क्रियान्वित करना।
- पर्यावरण की गुणवत्ता के मानक निर्धारित करना।
- पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित अधिनियमों के अंतर्गत राज्य-सरकारों, अधिकारियों और संबंधितों के काम में समन्वय स्थापित करना।
- ऐसे क्षेत्रों का परिसीमन करना, जहां किसी भी उद्योग की स्थापना अथवा औद्योगिक गतिविधियां संचालित न की जा सकें। आदि। उक्त-अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के लिए कठोर दंड का प्रावधान है।
- केन्द्रीय सरकार की पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिये उपाय करने की शक्ति
- अधिकारियों की नियुक्ति तथा उनकी शक्तियाँ और कृत्य
- निर्देश देने की शक्ति
- राष्ट्रीय हरित अधिकरण को अपील
- पर्यावरण प्रदूषण का निवारण, नियंत्रण और उपशमन
- उद्योग चलाने, संक्रिया करने वाले व्यक्तियों द्वारा मानकों से अधिक पर्यावरण प्रदूषकों का उत्सर्जन या निस्सारण न होने देना
- परिसंकटमय पदार्थों को हाथ लगाने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रक्रिया सम्बन्धी रक्षोपायों का पालन किया जाना

- कुछ मामलों में प्राधिकरणों और अभिकरणों को जानकारी का दिया जाना
- प्रवेश और निरीक्षण की शक्तियाँ
- नमूने लेने की शक्ति और उसके सम्बन्ध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया
- पर्यावरण प्रयोगशालाएँ
- सरकारी विश्लेषकों की रिपोर्ट
- अधिनियमों तथा नियमों, आदेशों और निदेशों के उपबन्धों के उल्लंघन के लिये शास्ति
- कम्पनियों द्वारा अपराध
- धारा 3 के अधीन गठित प्राधिकरण के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों का लोकसेवक होना
- इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों का संसद के समक्ष रखा जाना
- पर्यावरण प्रदूषण का विनियमन करने के लिये नियम

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972

भारत सरकार के द्वारा सन् 1972 ई में इस अधिनियम को इस उद्देश्य से पारित किया था कि वन्यजीवों/जानवरों के अवैध शिकार तथा उसके हाड़-माँस और खाल के व्यापार पर रोक लगाई जा सके। इसे सन् 2003 ई में संशोधित किया गया है और इसका नाम भारतीय वन्य जीव संरक्षण (संशोधित) अधिनियम 2002 रखा गया जिसके तहत इसमें दण्ड तथा जुर्माना और कठोर कर दिया गया है। 1972 से पहले, भारत के पास केवल पाँच नामित राष्ट्रीय पार्क थे। कुछ क्षेत्रों को अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित करने के लिए अधिनियम बनाने का अधिकार केन्द्र सरकार को है। अधिनियम जंगली जानवरों तथा पक्षियों आदि के शिकार पर प्रतिबंध लगाता है, और प्रतिबंध के उल्लंघन के लिए दंड देता है।

महत्वपूर्ण तथ्य : अधिनियम में 66 धाराएं हैं जो सात अध्याय और छह अनुसूची में विभाजित है। अध्याय - I (अनुसूची 1 और 2) संक्षिप्त शीर्षक और परिभाषाएं शामिल हैं। अध्या य - II अधिनियम के तहत प्राधिकरण से संबंधित है। अध्याय - III निर्दिष्ट पौधों की सुरक्षा से संबंधित है। अध्याय - IV अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों और अवरूद्ध क्षेत्रों की घोषणा से संबंधित है। अध्याय - IV(अ) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और चिड़ियाघरों की मान्यता से संबंधित है। अध्याय - VII

जंगली पशु, पशु लेख और ट्राफी के व्यापार या वाणिज्य से संबंधित है। अध्याय - VI अपराधों की रोकथाम और जांच से संबंधित है। और अंत में अध्याय - VII में विविध प्रावधान उपलब्धब हैं।

प्राधिकारी : अधिनियम के अनुसूची 3 के तहत केन्द्रत सरकार को निदेशक और सहायक निदेशक वन्यअजीव संरक्षण तथा अन्यि अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करने का अधिकार है।

वन्य जीव सलाहकार बोर्ड : वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान, तथा प्रतिबंधित क्षेत्रों का चयन और घोषणा करने के लिए यह प्रत्येक राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश में राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए गठित की गई है।

जंगली जानवरों का शिकार: अधिनियम जंगली जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध लगाता है। अधिनियम की अनुसूचियों के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी जंगली जानवर का शिकार नहीं कर सकता।

अभयारण्य : राज्य सरकार यदि वन्य जीव की सुरक्षा और संरक्षण के लिए आरक्षित वन या जल क्षेत्र के भीतर किसी भी क्षेत्र को लायक समझती है तो अधिसूचना द्वारा, एक अभयारण्य के रूप में घोषित कर सकती है।

चिड़ियाघरों की मान्यता : चिड़ियाघर प्राधिकारी की बिना मान्यता के संचालित नहीं किया जायेगा। कोई भी व्यक्ति जो चिड़ियाघर संचालित करने का इरादा रखता है, वह निश्चित फार्म में प्राधिकारी से आवेदन करके उसका निर्धारित शुल्क अदा कर सकता है। आवेदक को सभी शर्तों को पूरा करना चाहिए। इसके बाद ही प्राधिकरण अनुमति देगा।

जंगली जानवर, पशु लेख और ट्राफियों में व्यापार या वाणिज्य : सभी जंगली जानवर, पशु लेख और ट्राफियां राज्य सरकार की संपत्ति होगी। कोई भी व्यक्ति किसी भी जंगली जानवर का शिकार करने का हकदार नहीं है।

पशु की खरीद : ऐसा व्यक्ति जिसने अधिकारियों की पूर्व अनुमति लेकर जंगली जानवर प्राप्त किया है वह इसे बेच नहीं सकता। उसे जानवर को उचित आवास और स्वस्थ परिस्थितियों में रखना होगा।

प्रविष्टि का अधिकार, खोज, रूकावट और निरोध: इस अधिनियम के तहत किसी भी अधिकृत व्यक्ति का अधिकार है और किसी भी परिसर के प्रवेश, खोज, रूकावट और निरोध की शक्ति है। वह किसी भी परिसर में प्रवेश कर सकता है।

दंड: (वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा 51) : कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है [अध्याय V-अ (ट्राफियां या पशु लेख में व्यापार या वाणिज्य का निषेध) और धारा 38 जे (जानवर को चिढ़ाने का निषेध) को

छोड़कर] या इस अधिनियम के तहत किसी भी नियम का उल्लंघन करता है, लाइसेंस या परमिट के किसी भी शर्त को तोड़ता है, तो उसे एक अवधि के लिए कारावास जो तीन साल तक बढ़ाई जा सकती है, या अर्थदण्डी जो 25000 तक बढ़ाई जा सकती है, या दोनों हो सकते हैं।

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग : NHRC एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है, जिसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्तूबर, 1993 को की गई थी। यह संविधान द्वारा दिये गए मानवाधिकारों जैसे- जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार आदि की रक्षा करता है और उनके प्रहरी के रूप में कार्य करता है। मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 2 के अनुसार "मानव अधिकारों" का अर्थ है संविधान के अंतर्गत गारंटित अथवा अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदाओं में सम्मिलित तथा भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय जीवन, स्वतंत्रता, समानता तथा व्यक्ति की गरिमा से संबंधित अधिकार। "अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदाओं" का अर्थ है 16 दिसम्बर 1966 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंगीकृत सिविल एवं राजनैतिक अधिकारों संबंधी अंतराष्ट्रीय प्रसंविदा तथा आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों संबंधी अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा।

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम :

- एनएचआरसी को प्राप्त शिकायतों को संबंधित एसएचआरसी को भेजने के लिए उसे सक्षम बनाना।
- राज्य सरकार को पूर्व-सूचना दिए बगैर एनएचआरसी को किसी भी जेल या अन्य संस्थानों का दौरान करने के लिए सक्षम बनाना।
- न्यायिक कार्यों और प्रस्तावित विधेयक के खंड 18 के तहत नियम बनाने की शक्तियों को छोड़कर एनएचआरसी और इसके अध्यक्ष को आयोग की कतिपय शक्तियां और कार्य, एनएचआरसी के महासचिव को प्रात्यायोजित करने की शक्तियां प्रदान करना।

- यह प्रावधान करना कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एनएचआरसी के सदस्यों के रूप में माना जाएगा।
- भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय करारों और अभिसमयों, जिन पर अधिनियम लागू होगा, को अधिसूचित करने के लिए केन्द्र सरकार को सक्षम बनाना।
- यह स्पष्ट करना कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) और राज्य मानवाधिकार आयोग (एसएचआरसी) के अध्यक्ष, संबंधित आयोगों के सदस्यों से भिन्न होते हैं।
- उच्चतम न्यायालय के कम से कम तीन वर्ष की सेवा वाले न्यायाधीशों को एनएचआरसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति का पात्र बनाना।
- एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों को अपने त्याग पत्र लिखित रूप में भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करने और एसएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों को संबंधित राज्य के राज्यपाल को संबोधित करने के लिए सक्षम बनाना।
- जांच के दौरान एनएचआरसी और एसएचआरसी को अंतरिम सिफारिशें करने के लिए सक्षम बनाना।
- उच्च न्यायालयों के कम से कम पांच वर्ष की सेवा वाले न्यायाधीशों को एसएचआरसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति का पात्र बनाना; और जिला न्यायाधीश की हैसियत से कम से कम सात वर्ष के अनुभव वाले जिला न्यायाधीश को एसएचआरसी का सदस्य बनाना।

Oliveboard
यूपी पुलिस एसआई 2021
फ्री मॉक टेस्ट
· नवीनतम परीक्षा पैटर्न
· विस्तृत समाधान और परीक्षण विश्लेषण
अभी प्रयास करें
(हिंदी और अंग्रेजी में)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

12 मई 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संसद में पारित किया, जिसे 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली और अन्ततः 12 अक्टूबर 2005 को यह कानून जम्मू-कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू किया गया। इसी के साथ सूचना की स्वतंत्रता विधेयक 2002 को निरस्त कर दिया गया।

इस कानून के राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने से पूर्व नौ राज्यों ने पहले से लागू कर रखा था, जिनमें तमिलनाडु और गोवा ने 1997, कर्नाटक ने 2000, दिल्ली 2001, असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं महाराष्ट्र ने 2002, तथा जम्मू-कश्मीर ने 2004 में लागू कर चुके थे। सूचना का तात्पर्यः

रिकार्ड, दस्तावेज, ज्ञापन, ईःमेल, विचार, सलाह, प्रेस विज्ञप्तियाँ, परिपत्र, आदेश, लांग पुस्तिका, ठेके सहित कोई भी उपलब्ध सामग्री, निजी निकायो से सम्बन्धित तथा किसी लोक प्राधिकरण द्वारा उस समय के प्रचलित कानून के अन्तर्गत प्राप्त किया जा सकता है। सूचना अधिकार का अर्थः---------- इसके अन्तर्गत निम्नलिखित बिन्दु आते है-

कार्यो, दस्तावेजों, रिकार्डो का निरीक्षण।

दस्तावेज या रिकार्डो की प्रस्तावना। सारांश, नोट्स व प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करना।

सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना।

प्रिंट आउट, डिस्क, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या कोई अन्य इलेक्ट्रोनिक रूप में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

प्रमुख प्रावधानः

- इसके अंतर्गत सभी संवैधानिक निकाय, संसद अथवा राज्य विधानसभा के अधिनियमों द्वारा गठित संस्थान और निकाय शामिल हैं।
- राष्ट्र की संप्रभुता, एकता-अखण्डता, सामरिक हितों आदि पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली सूचनाएँ प्रकट करने की बाध्यता से मुक्ति प्रदान की गई है।
- समस्त सरकारी विभाग, सार्वजानिक क्षेत्रक इकाई, किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता से चल रहीं गैर सरकारी संस्थाएं व शिक्षण संस्थान आदि विभाग इसमें शामिल हैं। पूर्णतः से निजी संस्थाएं इस कानून के दायरे में नहीं हैं लेकिन यदि किसी कानून के तहत कोई सरकारी विभाग किसी निजी संस्था से कोई जानकारी मांग सकता है तो उस विभाग के माध्यम से वह सूचना मांगी जा सकती है।
- प्रत्येक सरकारी विभाग में एक या एक से अधिक जनसूचना अधिकारी बनाए गए हैं, जो सूचना के अधिकार के तहत आवेदन स्वीकार करते हैं, मांगी गई सूचनाएं एकत्र करते हैं और उसे आवेदनकर्ता को उपलब्ध कराते हैं।
- इस अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद व राज्य विधानमंडल के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और निर्वाचन आयोग जैसे संवैधानिक निकायों व उनसे संबंधित पदों को भी सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में लाया गया है।
- जनसूचना अधिकारी का दायित्व है कि वह 30 दिन अथवा जीवन व स्वतंत्रता के मामले में 48 घण्टे के अन्दर (कुछ मामलों में 45 दिन तक) मांगी गई सूचना उपलब्ध कराए।

- इस अधिनियम में यह भी कहा गया है कि सभी सार्वजनिक प्राधिकरण अपने दस्तावेज़ों का संरक्षण करते हुए उन्हें कंप्यूटर में सुरक्षित रखेंगे।
- लोक सूचना अधिकारी को अधिकार नहीं है कि वह आपसे सूचना मांगने का कारण नहीं पूछ सकता।

आय-कर अधिनियम, 1961

इस अधिनियम में कुल 298 धाराएं तथा XIV अनुसूचियां शामिल हैं। संसद द्वारा पारित वित्त अधिनियम द्वारा इसमें संवर्धन और विलोपन के साथ प्रतिवर्ष परिवर्तित होता है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त सभी प्रकार की आय को शामिल कर कुल आय की गणना आकलन वर्ष में अप्रैल की पहली तिथि को की जाती है। कराधान प्रक्रिया से संबंधित सभी गतिविधियों की ज़िम्मेदारी आयकर विभाग की है। आयकर विभाग भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत राजस्व विभाग का एक अंग है एवं यह केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा अभिशासित है। "बोर्ड" से केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 (1963 का 54) के अधीन गठित केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अभिप्रेत है।

अधिनियम के अनुसार लोगों द्वारा अर्जित विभिन्न प्रकार की आय का वर्गीकरण पांच शीर्षकों के अंतर्गत किया गया है जो निम्नलिखित हैं : वेतन से होने वाली आय, संपत्ति से होने वाली आय, व्यापार या नौकरी में हुआ लाभ, पूंजीगत लाभ, अन्य स्रोतों से होने वाली आय। आयकर, किसी व्यक्ति की वार्षिक आय पर लगाया जाता है। आयकर कानून के तहत, वर्ष, 1 अप्रैल से प्रारंभ और अगले कैलेंडर वर्ष के 31 को मार्च को समाप्त होने वाली अवधि है। आयकर कानून में वर्ष को-(1) पिछले वर्ष और (2) निर्धारण वर्ष के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

आयकर कानून के -दृष्टिकोण से, किसी व्यक्ति को भारत के एक निवासी के रूप में माना जाएगा यदि वह आयकर अधिनियम के तहत इस संबंध में निर्धारित मानदंडों को संतुष्ट करता है।

आयकर अधिनियम - बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडो में खुलती हैं की धारा 14 में पुन: बताया गया है कि आयकर के प्रभार का प्रयोजन और सभी आय से कुल आय की गणना आय के निम्नलिखित शीर्षों के तहत वर्गीकृत की जाएगी : वेतन, गृह संपत्ति से आय, व्यापार या पेशे से लाभ और प्राप्तियां, पूंजी लाभ, अन्य स्रोतों से आय शामिल है । उपरोक्त सभी शीर्षों की कुल आय से अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आय की गणना की जाती है, जो किसी भी आकलन वर्ष के अप्रैल माह की पहली तिथि पर होते। कराधान प्रक्रिया से संबंधित सभी गतिविधियों के लिए आयकर विभाग- बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडो में खुलती हैं जिम्मेदार है।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988

इस अधिनियम में निर्वाचन से संसद् या किसी विधान-मंडल, स्थानीय प्राधिकरण या अन्य लोक प्राधिकरण के सदस्यों के चयन के प्रयोजन के लिए किसी विधि के अधीन, किसी भी माध्यम से, कराया गया निर्वाचन अभिप्रेत है। और लोक कर्तव्य" से अभिप्रेत है वह कर्तव्य; जिसके निर्वहन में राज्य, जनता या समस्त समुदाय का हित है ।इस खंड में, राज्य" के अंतर्गत किसी केंद्रीय, प्रांतीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन या सरकार से सहायता प्राप्त कोई प्राधिकरण या निकाय या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 में यथापरिभाषित सरकारी कंपनी भी है।

कोई व्यक्ति जो किसी केंद्रीय, प्रांतीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन या सरकार से सहायता प्राप्त किसी प्राधिकरण या निकाय या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 में यथापरिभाषित किसी सरकारी कंपनी की सेवा या उसके वेतन पर है।

कोई व्यक्ति जो न्याय प्रशासन के संबंध में किसी कर्तव्य का पालन करने के लिए न्यायालय द्वारा प्राधिकृत किया गया है, जिसके अंतर्गत किसी ऐसे न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया परिसमापक, रिसीवर या आयुक्त भी है।

कोई व्यक्ति जो कृषि, उद्योग, व्यापार या बैंककारी में लगी हुई किसी ऐसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी का अध्यक्ष, सचिव या अन्य पदधारी है जो केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी केंद्रीय, प्रांतीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम से या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन या सरकार से सहायता प्राप्त किसी प्राधिकरण या निकाय से या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 में यथापरिभाषित किसी सरकारी कंपनी से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है या कर चुकी है।

कोई व्यक्ति जो किसी विश्वविद्यालय का कुलपति, उसके किसी शासी निकाय का सदस्य, आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक या कोई अन्य शिक्षक या कर्मचारी है, चाहे वह किसी भी पदाभिधान से ज्ञात हो, और कोई व्यक्ति जिसकी सेवाओं का लाभ विश्वविद्यालय द्वारा या किसी अन्य लोक निकाय द्वारा परीक्षाओं के आयोजन या संचालन के संबंध में लिया गया है।

कोई व्यक्ति जो किसी भी रीति में स्थापित किसी शैक्षिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या अन्य संस्था का, जो केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है या कर चुकी है, पदधारी या कर्मचारी है ।

किसी क्षेत्र या किन्हीं क्षेत्रों के लिए दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 1952 के अधीन नियुक्त किया गया और इस अधिनियम के प्रारंभ पर पद धारण कर रहा प्रत्येक विशेष न्यायाधीश उस क्षेत्र या उन क्षेत्रों के लिए इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन नियुक्त किया गया विशेष न्यायाधीश समझा जाएगा और ऐसे प्रारंभ से ही प्रत्येक ऐसा न्यायाधीश, तद्नुसार, ऐसे प्रारंभ पर उसके समक्ष लंबित सब कार्यवाहियों का निपटारा, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार करता रहेगा । दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का कुछ उपांतरणों के अध्यधीन लागू होना-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का उपबंध है। 1860 के अधिनियम सं० 45 की कुछ धाराओं का लोप-भारतीय दंड संहिता की धारा 161 से धारा 165क तक का (जिसमें ये दोनों धाराएं सम्मिलत हैं) लोप किया जाएगा, और साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 6 ऐसे लोप को लागू होगी, मानो उक्त धाराओं का लोप किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा किया गया हो ।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) का उपयोग केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा निवारक निरोध उपायों के रूप में किया जाता है। देश की सुरक्षा के लिए सरकार को अधिक शक्ति देने से संबंधित एक कानून है। यह कानून केंद्र और राज्य सरकार को गिरफ्तारी का आदेश देता है। किसी व्यक्ति को अधिकतम 12 महीने हिरासत में रखा जा सकता है। लेकिन सरकार को मामले से संबंधित नवीन सबूत मिलने पर इस समय सीमा को बढ़ाया जा सकता है। सीसीपी, 1973 के तहत जिस व्यक्ति के खिलाफ आदेश जारी किया जाता है, उसकी गिरफ्तारी भारत में कहीं भी हो सकती है।

यह भारत में निवारक निरोध कानून की शुरुआत औपनिवेशिक युग के बंगाल विनियमन- III, 1818 से मानी जाती है। इस कानून के माध्यम से सरकार, किसी भी व्यक्ति को न्यायिक प्रक्रियाओं से गुज़रे बिना सीधे ही गिरफ्तार कर सकती थी।

एक सदी बाद ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट, 1919 को लागू किया, जिसके तहत बिना किसी परीक्षण के संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करने की अनुमति दी गई।

स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1950 में निवारक निरोधक अधिनियम बनाया गया, जो 31 दिसंबर, 1969 तक लागू रहा।

वर्ष 1971 में आंतरिक सुरक्षा अधिनियम लाया गया जिसे वर्ष 1977 में जनता पार्टी सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया। बाद में कॉंग्रेस सरकार द्वारा पुन: NSA लाया गया।

हाल ही में यह चर्चा में रहा क्योंकि : **उत्तर प्रदेश सरकार** ने तब्लीगी जमात से जुड़े छह लोगों पर अस्पताल में महिला स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार करने पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्यवाही करने का फैसला लिया है।

आईटी और साइबर अपराध

आईटी (संशोधन) एक्ट 2008 की धारा 43 (सी), धारा 66, आईपीसी की धारा 268, देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने के लिए फैलाए गए वायरसों पर साइबर आतंकवाद से जुड़ी धारा 66 (एफ) भी लागू (गैर-जमानती)। सजा: साइबर-वॉर और साइबर आतंकवाद से जुड़े मामलों में उम्र कैद। दूसरे मामलों में तीन साल तक की जेल और/या जुर्माना। इसमें कोई संशय नहीं है कि यह एक आपराधिक गतिविधि है, जिसे कंप्यूटर और इंटरनेट के उपयोग द्वारा अंजाम दिया जाता है। साइबर अपराध, जिसे 'इलेक्ट्रॉनिक अपराध' के रूप में भी जाना जाता है, एक ऐसा अपराध है जिसमें किसी भी अपराध को करने के लिये कंप्यूटर, नेटवर्क डिवाइस या नेटवर्क का उपयोग, एक वस्तु या उपकरण के रूप में किया जाता है। जहाँ इनके (कंप्यूटर, नेटवर्क डिवाइस या नेटवर्क) ज़रिये ऐसे अपराधों को अंजाम दिया जाता है वहीं इन्हें लक्ष्य बनाते हुए इनके विरुद्ध अपराध भी किया जाता है।

कंप्यूटर अपराध के प्रकार

जानकारी चोरी करना- किसी के भी कंप्यूटर से उसकी निजी जानकारी निकालना जेसे की उपयोगकर्ता नाम या पासवर्ड।

जानकारी मिटाना- किसी के कंप्यूटर से जानकारी मिटाना ताकि उसे नुकसान हो या कोई जरूरी जानकारी को मिटाना।

फेर बदल करना- जानकारी मे कुछ हटाना या जोड़ना उस जानकारी को बदल देना।

बहारी नुकसान- हिस्सों को नष्ट करना, उसे तोडना या हिस्सों की चोरी करना भी कंप्यूटर अपराध मे आता है।

साइबर अपराध के प्रकार

स्पैम ईमेल- अनेक प्रकार के ईमेल आते है जिसमें एसे ईमेल भी होते है जो सिर्फ कंप्यूटर को नुकसान पहुचाते है। उन ईमेल से सारे कंप्यूटर में खराबी आ जाती हैं।

हैकिंग- किसी की भी निजी जानकारी को हैक करना जेसे की उपयोगकर्ता नाम या पासवर्ड और फिर उसमे फेर बदल करना।

साइबरफिशिंग- किसी के पास स्पैम ईमेल भेजना ताकी वो अपनी निजी जानकारी दे और उस जानकारी से उसका नुकसान हो सके। यह इमेल आकार्षित होते है।

सोशल नेटवर्किंग साइटों पर अफवाह फैलाना - बहुत से लोग सोशल नेटवर्किंग साइटों पर सामाजिक, वैचारिक, धार्मिक और राजनैतिक अफवाह फैलाने का काम करते हैं, लेकिन यूजर्स उनके इरादें समझ नहीं पाते हैं और जाने-अनजाने में ऐसे लिंक्स को शेयर करते रहते हैं, लेकिन यह भी साइबर अपराध और साइबर-आतंकवाद की श्रेणी में आता है।

साइबर बुलिंग - फेसबुक जैसी सोशल नेटवर्किंग पर अशोभनीय कमेंट करना, इंटरनेट पर धमकियॉ देना किसी का इस स्तर तक मजाक बनाना कि तंग हो जाये, इंटरनेट पर दूसरों के सामने शर्मिंदा करना, इसे साइबर बुलिंग कहते हैं। अक्सर बच्चे इसका शिकार होते हैं। इससे इनके सेहत पर भी असर पड़ता है

वायरस फैलाना -साइबर अपराधी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर पर भेजते हैं जिसमें वायरस छिपे हो सकते हैं, इनमें वायरस, वर्म, टार्जन हॉर्स, लॉजिक हॉर्स आदि वायरस शामिल हैं, यह आपके कंप्यूटर को काफी हानि पहुंचा सकते हैं।

सॉफ्टवेयर पाइरेसी - सॉफ्टवेयर की नकल तैयार कर सस्ते दामों में बेचना भी साइबर क्राइम के अन्तर्गत आता है, इससे साफ्टवेयर कम्पनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है साथ ही साथ आपके कीमती उपकरण भी ठीक से काम नहीं करते हैं।

फर्जी बैंक कॉल- आपको जाली ईमेल, मैसेज या फोन कॉल प्राप्त हो जो आपकी बैंक जैसा लगे जिसमें आपसे पूछा जाये कि आपके एटीएम नंबर और पासवर्ड की आवश्यकता है और यदि आपके द्वारा यह जानकारी नहीं दी गयी तो आपको खाता बन्द कर दिया जायेगा या इस लिंक पर सूचना दें। याद रखें किसी भी बैंक द्वारा ऐसी जानकारी कभी भी इस तरह से नहीं मांगी जाती है और भूलकर भी अपनी किसी भी इस प्रकार की जानकारी को इन्टरनेट या फोनकॉल या मैसेज के माध्यम से नहीं बताये।

जनहित याचिका

जनहित याचिका भारतीय संविधान या किसी कानून में परिभाषित नहीं है, बल्कि यह उच्चतम न्यायालय के संवैधानिक व्याख्या से व्युत्पन्न है, जिसका कोई अंतर्राष्ट्रीय समतुल्य नहीं है और इसे एक विशिष्ट भारतीय संप्रल्य के रूप में देखा जाता है। यूं तो इस प्रकार की याचिकाओं का विचार सबसे पहले अमेरिका में जन्मा। जहां इसे 'सामाजिक कार्यवाही याचिका' कहते हैं। यह न्यायपालिका का आविष्कार तथा न्यायधीश निर्मित विधि है। जबकि, भारत में जनहित याचिका पी.एन. भगवती ने प्रारंभ की थी। जनहित याचिका (पीआईएल) जैसा कि नाम से पता चलता है किसी भी लोक हित के लिए मुकदमेबाजी है। जैसा कि 'मुकदमेबाजी' शब्द का अर्थ है 'कानूनी कार्रवाई ' यह एक पब्लिक परसन द्वारा की गई कानूनी कार्रवाई के लिए है। यह नियम कल्याण की रक्षा के लिए है। यह

कल्याणकारी मामलों जैसे कि खतरनाक (रिस्क) , प्रदूष्ण और आतंक के विरुद्ध सुरक्षा के लिए कोर्ट में मुकदमा दायर किया जाता है।

जनहित याचिका के माध्यम से दायर किया जा सकता है :

नैतिक अधिकार या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन।

गरीबों के मानवधिकारों का उल्लंघन।

एक सार्वजानिक कर्तव्य का संचालन करने के लिए निगमित प्राधिकरण को नियुक्त करना।

सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन।

जनहित याचिका का प्रारूप :

उच्चतम न्यायालय में प्रारूप याचिकाकर्ता का नाम और उसके दावेकार का नाम है।

प्रारूपण को भारत के मुख्य न्यायधीश को संबोधित कर लिखा जाना चाहिए।

जनहित याचिका दायर करने की प्रक्रिया:

न्यायाधीश प्रक्रियाओं के बीच होने वाले प्रदूषण, पेड़ों के कटने, सीवर की समस्याओं आदि जैसे आरोपों की जांच के लिए एक आयुक्त का चयन कर सकता है।

अंतिम सुनवाई के बाद न्यायाधीश अपना अंतिम निर्णय सुनाता है।

कार्यवाही अन्य मामलों की तरह ही शुरू होती है।

Oliveboard
यूपी पुलिस एसआई 2021
फ्री मॉक टेस्ट
· नवीनतम परीक्षा पैटर्न
· विस्तृत समाधान और परीक्षण विश्लेषण
अभी प्रयास करें
(हिंदी और अंग्रेजी में)

भूमि सुधार , भूमि अधिग्रहण और भू-राजस्व सम्बन्धी कानून

स्वतंत्रता के समय भारत में भू-धारण की तीन पद्धतियां - जमींदारी, रैय्यतवाडी, महालवाडी प्रचलित थी। जिसके अंतर्गत क्रमशः 19 प्रतिशत, 51 प्रतिशत, 30 प्रतिशत भूमि सम्मिलित थी। ब्रिटिश राज में किसानों के पास उन ज़मीनों का स्वामित्व नहीं था जिन पर वे खेती करते थे। ज़मीन का मालिकाना हक ज़मींदारों, जागीरदारों आदि के पास होता था। जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 पारित हुआ और 1952 तक सभी राज्यों में इससे संबंधित विधेयक पारित हो गया। जे. सी. कुमारप्पन की अध्यक्षता में भूमि संबंधी समस्याओं से निपटने के लिये एक समिति नियुक्त की गई। कुमारप्पन समिति द्वारा कृषि में व्यापक सुधार हेतु उपायों की सिफारिश की गई।

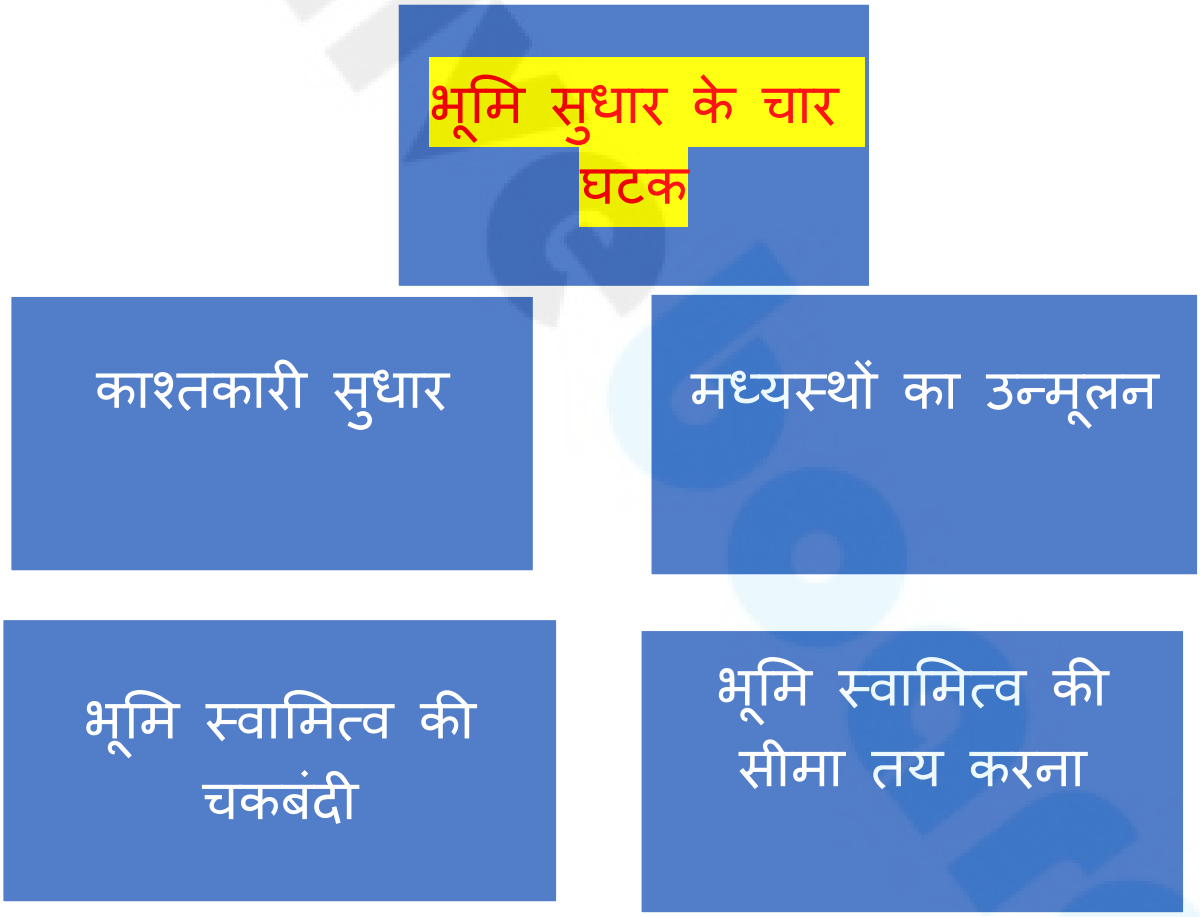

जमींदारी व्यवस्था 1793 में लार्ड कार्नवालिस द्वारा आरंभ की गयी। यह पद्धति दो रूपों में लागू की गयी थी।

स्थायी बंदोबस्त- इसके अंतर्गत लगान को स्थायी रूप से सुनिश्चित कर दिया जाता था, जिसमें भविष्य में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता था। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तरी भारत मद्रास एवं बनारस आदि क्षेत्रों में लागू थी।

अस्थायी बंदोबस्त- इसके अंतर्गत लगान को अस्थायी रूप से सुनिश्चित किया जाता था, जिसे 20 से 40 वर्ष बाद बढाया जा सकता था। यह व्यवस्था अवध में लागू की गई थी।

रैय्यतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम 1792 में रीड द्वारा मद्रास क्षेत्र में लागू की गयी। इसके बाद 1820 में हेक्टर मुनरो ने इसे व्यवस्थित रूप दिया और इसे महाराष्ट्र, बरार, असम और कुर्ग आदि क्षेत्रों में लागू किया।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम :

केंद्र या राज्य सरकार सार्वजनिक हित से प्रेरित होकर क्षेत्र के बुनियादी विकास, औद्योगीकरण या अन्य गतिविधियों के लिये नियमानुसार नागरिकों की निजी संपत्ति का अधिग्रहण करती हैं। इसके साथ ही इस प्रक्रिया में प्रभावित लोगों को उनके भूमि के मूल्य के साथ उनके पुनर्वास के लिये मुआवज़ा प्रदान किया जाता है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार के रूप में जाना जाता है, इस कानून ने एक नई प्रक्रिया लाने के लिए पुरातन भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की जगह ली, जो एक नया कानून प्रदान करेगा।प्रभावित लोगों को सुनिश्चित किया जाए।

अधिनियम के अनुसार, भारत सरकार (राज्य, साथ ही केंद्रीय) अपने स्वयं के उपयोग के लिए या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए या सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि खरीद सकती है। जो इनमें से किसी को भी शामिल कर सकते हैं।

इस अधिनियम के तहत कुछ सामान्य प्रक्रियाओं का पालन कर सरकार आसानी से किसी भी भूमि का अधिग्रहण कर सकती थी। भूमि अधिग्रहण अधिनियम-1894 के अनुसार, भूमि अधिग्रहण की कुछ महत्वपूर्ण जरूरी बातें निम्नलिखित हैं-

- अधिग्रहण के लिये अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया हो।
- भूमि का अधिग्रहण सार्वजनिक उद्देश्य के लिये किया गया हो।
- भूमि अधिग्रहण के लिये भू-मालिक को उचित मुआवज़ा दिया गया हो।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 में सरकार के लिये सार्वजनिक उद्देश्य की स्पष्ट व्याख्या की गई, जिससे इस संदर्भ में किसी भी प्रकार के भ्रम की स्थिति को दूर कर कानून के दुरुपयोग को कम किया जा सके। जिनमे कुछ मुख्य बाते इस प्रकार है -

- सहमति की अनिवार्यता

- मुआवज़ा और पुनर्वास
- भूमि अधिग्रहण की सीमा
- विवाद निवारण तंत्र
- भूमि उपयोग की समय-सीमा
- आपातकालीन परिस्थितियों में

भू-राजस्व सम्बन्धी कानून:

कानूनगों, लेखपाल एवं राजस्व से सम्बन्धित सभी पदों का सृजन हुआ तथा अधिकार प्राप्त होता है। भू-राजस्व अधिनियम की धारा-34, 35 के अन्तर्गत नामान्तरण एवं विवादित उत्तराधिकार के मामलों का निपटारा करना ।

रजिस्ट्रार कानूनगों कक्ष के कार्यों का पर्यवेक्षण एवं नियन्त्रण।

कृषि एवं फसल सम्बन्धी आंकड़ों का संकलन/काप कटिंग आदि कार्यों का सम्पादन करना।

उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व कानून 1901 में बना था। बाद में इसके बदले 1926 और 1939 उत्तर प्रदेश काश्तकारी (टेनेन्सी) कानून बनाए गए। 1951 में उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमिसुधार कानून बनाया गया। इस कानून के अधीन किसानों के पुराने वर्गीकरण को समाप्त कर किसानों को चार श्रेणियों में बांटा गया।

भूमिधर,

सीरदार,

आसामी और अधिवासी।

इस कानून के पहले किसानों को सात श्रेणियों में रखा जाता था, जिनमें **खुदकाश्त, मौरूसी काश्तकार, सीरदार, काश्तकार और शिकम काश्तकार आदि शामिल** थे। उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम के धारा 34 के अन्तर्गत किसी अन्तरण या वरासत के कारण क्रेता या उत्तराधिकारी का नाम तहसीलदार द्वारा अंकित होता है।

oliveboard
यूपी पुलिस एसआई 2021
फ्री मॉक टेस्ट
· नवीनतम परीक्षा पैटर्न
· विस्तृत समाधान और परीक्षण विश्लेषण
अभी प्रयास करें
(हिंदी और अंग्रेजी में)

भाग 1 – दण्ड संहिता

(यहाँ डाउनलोड करें)

भाग 3 - संविधान

(यहाँ डाउनलोड करें)

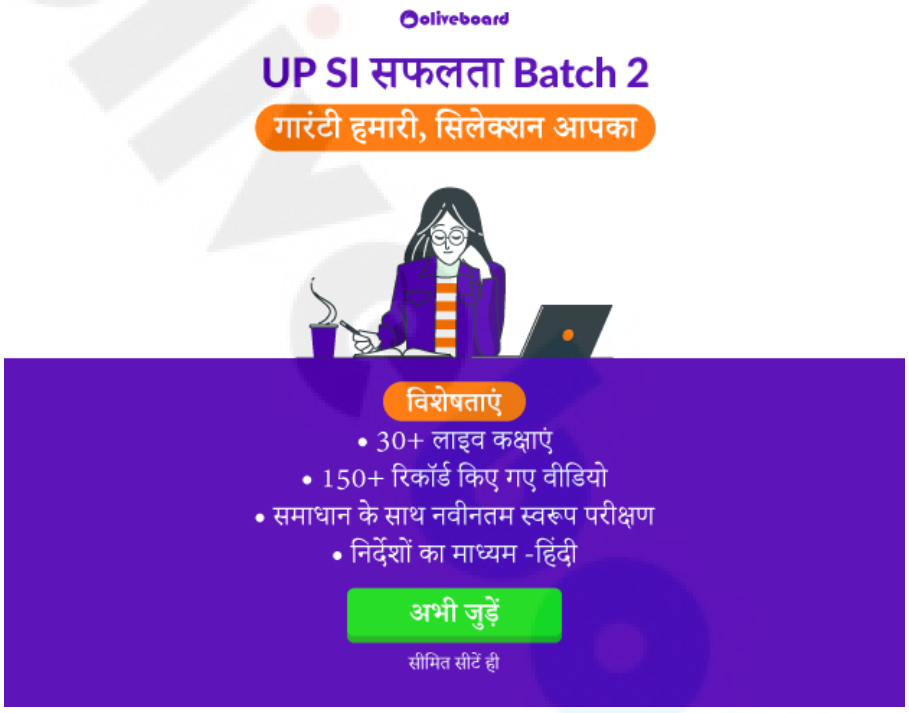

FREE Ebooks

Download Now

Current Affairs

Explore Now

FREE MOCK TESTS + TOPIC TESTS + SECTIONAL TESTS

For Banking, Insurance, SSC & Railways Exams

Web

APP

BLOG

Your one-stop destination for all exam related information & preparation resources.

Explore Now

FORUM

Interact with peers & experts, exchange scores & improve your preparation.

Explore Now